संख्या-151/2024/2042/22-2-2023-17(188)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2024*

विषय:- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी-जनपद-औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र श्री कृष्ण कुमार, ककराही बाजार, थाना-दिबियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.12.2008 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मनोज कुमार गुप्ता से अवैध धन वसूली व विल पास कराने के उद्देश्य से अपहरण कर लाठी, डण्डा व तार से मार-पीट कर छोड़ दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-446/2009 में भा0द0वि0 की धारा-364/149,302/149,201/149, 147,342/149,458/149, व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, लखनऊ के दण्डादेश दिनांक 06.05.2011 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.01.2023 तक 14 वर्ष, 28 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 58 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी (बन्दी संख्या-340/2020) पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी-जनपद-औरैया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-151/2024/2042(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in